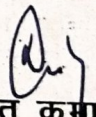


(वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14	स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है। क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/ नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं
15	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत है। यदि नहीं तो उसका कारण दे।	सहमत है।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत	आवेदक संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश रोड डेव्लपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड सागर के Online प्रस्ताव FP/MP/ROAD/49265/2020 में वन मंडल अधिकारी दक्षिण सागर द्वारा प्रस्ताव के Online Part-II में की गई अनुशंसा के आधार पर वन मंडल दक्षिण सागर के के परिक्षेत्र ढाना के वनकक्ष क्रमांक PF-804, 809 एवं 810 में सागर-रहली SH-21 मार्ग के उन्नयन एवं चौड़ीकरण हेतु प्रभावित रकवा 6.080 हेक्टेयर वनभूमि उपयोगार्थ देने की अनुशंसा की जाती है। अंतिम अनुमति के समय निर्देशित शर्तों को मान्य करना होगा।

तिथि:- 22/03/2022

स्थान:- सागर


(अमित कुमार दुबे)
मुख्य वन संरक्षक
सागर वृत्त सागर